



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237165  
CG-DL-E-07072022-237165

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2960]  
No. 2960]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

का.आ.3110(अ).—जबकि, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 ( 2019 का 30) की धारा 4 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) और धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 24 सितम्बर, 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया था।

और जबकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 4 (3) (ज) के अनुसरण में, डॉ. जगत राम, निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान, चंडीगढ़ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में सदस्य, पदेन के रूप में नामित किया था।

और जबकि, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 4 (3) (झ) के अनुसरण में, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 12 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1784 (अ) में सुश्री रोली सिंह, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में सदस्य, पदेन के रूप में नामित किया था।

अतः, अब भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3260 (अ) में, अनुच्छेद (२) के तहत तालिका में क्र.सं. (ज) और (झ) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियां निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएंगी:

| अधिनियम की धारा 4<br>(3) | सदस्य                                                                                 | सदस्यता का स्तर |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (1)                      | (2)                                                                                   | (3)             |
| (ज)                      | प्रोफेसर विवेक लाल, निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान, चंडीगढ़ | सदस्य, पदेन     |
| (झ)                      | श्री एस. गोपालाकृष्णन, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली  | सदस्य, पदेन     |

[फा. सं. वी. 11013/01/2019-एमईपी (पार्ट -3)]

वी. हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2022

**S.O. 3110(E).**—Whereas on 24<sup>th</sup> September, 2020, the National Medical Commission was constituted in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 read with Sub-section (1) of Section 5 and Sub-section (1) of Section 8 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019).

And whereas Government of India, in pursuance of Section 4 (3) (h) of the National Medical Commission Act, 2019 nominated Dr. Jagat Ram, Director, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh as Member, ex-officio in National Medical Commission.

And whereas Government of India, in pursuance of the Section 4 (3) (i) of the National Medical Commission Act, 2019, nominated Ms. Roli Singh, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi as Member, ex-officio in National Medical Commission in the Notification of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India number S.O.1784 (E) dated 12<sup>th</sup> April, 2022.

Now, therefore, in the Notification of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India number S.O.3260 (E) dated 24<sup>th</sup> September, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) under paragraph (2), in the table, the serial number (h) and (i) and the entries thereto, shall be substituted as under:

| Clause of section 4 (3) of the Act | Member                                                                                         | Status of membership |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (1)                                | (2)                                                                                            | (3)                  |
| (h)                                | Prof. Vivek Lal, Director Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh | Member, ex-officio   |
| (i)                                | Shri S. Gopalakrishnan, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi | Member, ex-officio   |

[F. No.V.11013/01/2019-MEP(Pt.3)]

V. HEKALI ZHIMOMI, Jt. Secy.